**अधिसूचना सं.47/2015 [फा.सं.वी.27015/3/2014-एसओ (NAT.COM)]/एसओ 98 (ई), दिनांक 6-1-2015**

जबकि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या एस.ओ.1649 (ड़) दिनांक 12.7.2010 के द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35कग की व्याख्या के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई थी, केंद्र सरकार ने क्रम संख्या '10' पर 'आदिवासी किसानों के लिए संसाधन प्रबंधन प्रशिक्षण और कृषि सहायता, जैविक खेती, औषधीय और चारा पौधों का विकास, आदिवासी गांवों के लिए पेयजल का प्रावधान, सिंचाई के कुएं और चेक डैम, आदिवासी छात्रावासों के लिए सुरक्षा दीवारें, आदिवासी बच्चों के लिए शैक्षणिक सहायता' को "भील सेवा मंडल दाहोद, ठक्कर बापा रोड, दाहोद 389151, गुजरात" द्वारा रु.9.11 करोड़ की अनुमानित लागत में रु.1 करोड़ के कॉर्पस फंड सहित वित्तीय वर्ष 2012-13 के साथ समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना या योजना के रूप में अधिसूचित किया था।

और जबकि उक्त परियोजना या योजना के 3 वर्षों से आगे बढ़ने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण संवर्धन की राष्ट्रीय समिति, इस बात से संतुष्ट होकर कि उक्त परियोजना या योजना उचित रूप से क्रियान्वित की जा रही है, ने आयकर नियम, 1962 के नियम 11छ के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना या योजना को वित्तीय वर्ष 2013-14 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अतिरिक्त अवधि अर्थात् 2013-14, 2014-15, 2015-16 के लिए निर्दिष्ट करने की अतिरिक्त सिफारिश की है। चूंकि वित्तीय वर्ष 2013-14 पहले ही समाप्त हो चुका है, इसलिए उक्त वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए धारा 35कग के अंतर्गत कोई छूट उपलब्ध नहीं होगी। चूंकि वित्तीय वर्ष 2013-14 पहले ही समाप्त हो चुका है, इसलिए उक्त वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए धारा 35कग के तहत कोई छूट उपलब्ध नहीं होगी।

अब, इसलिए, केंद्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35कग की उपधारा (1) के साथ पठित व्याख्या के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा "आदिवासी किसानों के लिए संसाधन प्रबंधन प्रशिक्षण और कृषि सहायता, जैविक खेती, औषधीय और चारा पौधों का विकास, आदिवासी गांवों के लिए पेयजल का प्रावधान, सिंचाई के कुएं और चेक डैम, आदिवासी छात्रावासों के लिए सुरक्षा दीवारें, आदिवासी बच्चों के लिए शैक्षणिक सहायता" योजना या परियोजना को अधिसूचित करती है, जो "भील सेवा मंडल दाहोद, ठक्कर बापा रोड, दाहोद 389151, गुजरात" द्वारा रु.9.11 करोड़ की स्वीकृत लागत में रु.1 करोड़ के कॉर्पस फंड सहित बिना किसी परिवर्तन के वित्तीय वर्ष 2013-14 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अतिरिक्त अवधि अर्थात् 2013-14, 2014-15, 2015-16 के लिए संचालित की जा रही है।

■■